पुरी से चुनाव लड़ें प्रधानमंत्री मोदी-ओडिशा भाजपा इकाई

भुवनेश्वर 06 अक्टूबर । भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा इकाई ने कहा कि वह चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के आम चुनाव में पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। बीजेपी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बसंत पांडा ने कहा कि मोदी को पुरी से पार्टी का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पार्टी के संसदीय बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। पांडा ने कहाए श्इस संबंध में अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड लेगाण्श्ए हालांकिए 2014 के लोकसभा चुनाव में पुरी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि मोदी की उम्मीदवारी राज्य के तटीय इलाके में राजनीतिक स्थिति को बदलेगी। इस क्षेत्र को नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ;बीजदद्ध का गढ़ माना जाता है। पुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत सात विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट बीजेपी के पास है जबिक शेष छह सीटों पर बीजू जनता दल का कब्जा है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए ईएसएम रैली आज भोपाल में

भोपाल 06 अक्टूबर (ए)। सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 07 अक्टूबर को प्रातः 09 बजे से जीत सिंह स्टेडियम 3 ईएमई सेंटर बैरागढ़ भोपाल में ईएसएम रैली आयोजित की जा रही है। ईएसएम रैली स्थल पर पीसीडीए (पी) इलाहबाद का स्टॉल, रिकार्ड आफिस स्टॉफ, बैंकों का स्टॉल, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भोपाल तथा होशंगाबाद एवं वेटरन सैल सब एरिया का स्टॉल, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, मेडीकल एवं दाँतों का कैम्प तथा रिक्रूटमेंट दफ्तर का स्टॉल लगाया जाएगा। सभी भूतपूर्व सैनिकों से ईएसएम रैली में शामिल होने तथा अपने पेंशन संबंधी भाग दो आदेश संबंधी तथा ईसीएचएस कार्ड संबंधित दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है, ताकि समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

आवेदन पत्रों के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे

भोपाल 06 अक्टूबर (ए)। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आवेदन पत्रों के साथ अनुप्रमाणित शपथ पत्र तथा प्रमाणित दस्तावेज के स्थान पर स्वप्रमाणित दस्तावेज मान्य करने के आदेश गत दिनों जारी किए गए थे। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ मान्य की जायेगी तथा आवेदक को साक्षात्कार या प्रवेश के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो कि स्वप्रमाणित दस्तावेज से मिलानकर आवेदक को उसी समय दे दिया जायेगा। नई व्यवस्था के तहत बीपीएल, राशन कार्ड, पेंशन, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छात्रवृत्ति प्रदाय, बिजली कनेक्शन, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जैसी योजनाओं में अब आवेदक को अटेस्टेड दस्तावेज के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की छूट दी गई है।

नजूल से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी

भोपाल 06 अक्चूबर (ए) मध्य प्रदेश सरकार भूमि विकास नियम में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के बाद भवन निर्माण की अनुमति के लिए नजूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करने के लिए नोटिफिक्रेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना में 15 दिन के अंदर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई हैं। इसकी सुनवाई के बाद टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग और भवन निर्माण अनुमति को लेकर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। नए नियमों के तहत अब हर व्यक्ति को भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए नजूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। जिस जमीन पर भवन निर्माण की स्वीकृति मांगी गई है। वह जमीन राजस्व भू.अभिलेख में यदि आवेदक के नाम पर दर्ज है। 15 दिन के अंदर नजूल अधिकारी यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं तो उसे ही एनओसी मान लिया जाएगा। नजूल विभाग से एनओसी लेने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। एक समानांतर व्यवस्था शुरू हो जाती थी। जिसके कारण भवन निर्माण की स्वीकृति में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इस संशोधन के बाद 15 दिन में यदि नजूल विभाग अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा तो उसे ही अनुमति मान लिया जाएगा। इससे रिश्वतखोरी में लगाम लगेगी।

सामान खरीदकर बिल लेने वाले उपभोक्ता होंगे पुरस्कृत

राज्य सरकार ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने घोषित की योजना

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) प्रदेश सरकार बाजार से सामान खरीदकर दुकानदार से बिल लेने वाले ग्राहकों को पुरस्कृत करेगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने मप्र बिल संग्रहण व पुरस्कार योजना 2018 के तहत सामान खरीदकर बिल लेने वाले उपभोक्ताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने टैक्स कलेक्शन से अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक नई योजना लागू की है। मप्र में 200 रुपए से ज्यादा की खरीदी कर उपभोक्ता बिल को वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम पताए मोबाइल नंबर बिल स्कैन कर अपलोड करना होगा। वाणिज्यिक कर विभाग हर तीन महीने में विजेता उपभोक्ताओं के नाम घोषित करेगा। विजेता उपभोक्ताओं के नाम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से तय होंगे। पहले पांच विजेताओं को दस.दस हजाएए दूसरे दस विजेताओं को पांच.पांच हजाएए तीसरे 15 विजेताओं को तीन.तीन हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। दअरसलए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने से उसके खजाने में और पैसा आ सकता है। इसी उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। यह बिल मप्र में ही जनरेट होना चाहिए। यह योजना उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान और सेवा दोनों के लिए होगी। पुरस्कार लेते समय उपभोक्ता को बिल की मूल प्रति दिखाना होगी। राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस योजना से टैक्स कलेक्शन में बढोत्तरी दर्ज होगी।

625 चयनित मेधावी विद्यार्थी पाँच शहरों के वैज्ञानिक संस्थानों का करेंगे भ्रमण

भोपाल 06 अक्टूबर (ए)। मध्यप्रदेश मिशन एक्सीलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) द्वारा बारहवीं विज्ञान मंथन यात्रा 14 अक्टूबर तक आयोजित की गई है। विज्ञान मंथन यात्रा के लिये प्रदेश के सभी जिलों से 625 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इनमें आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवी एवं बारहवीं (केवल विज्ञान विषय) के विद्यार्थी हैं। स्कूली बच्चों के लिये इस शैक्षणिक यात्रा की शुरूआत 2007 में हुई थी। परिषद द्वारा प्रति वर्ष यह यात्रा आयोजित की जाती है। अभी तक ग्यारह विज्ञान मंथन यात्राओं में सात हजार से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हो चुके हैं।

प्रदेश में गरीबों के लिये प्रति दिन बनवाये जा रहे 3000 मकान - मुख्यमंत्री

✸ मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशन में डेढ़ लाख हितग्राहियों ने किया गृह प्रवेश

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिवनी में राज्य.स्तरीय हितग्राही गृह.प्रवेश कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में आवासहीन गरीबों और जरूरतमंदों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति दिन 3000 मकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। अभी तक 10 लाख से अधिक मकानों का निर्माण पूर्ण हो गया है। चौहान के निर्देशन में श्योपुरए शहडोलए सीधीए धार और सिवनी जिलों के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ;ग्रामीणद्ध में अपने पक्के मकानों में गृह.प्रवेश किया। मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित हितग्राहियों से आत्मीय बातचीत की।

चौहान ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के डेढ़ लाख पक्के मकानों में हितग्राहियों को प्रदेश स्तर पर गृह प्रवेश कराते हुए बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ सन् 2022 तक प्रदेश के सभी गरीब परिवारों के लिये पक्के मकान का संकल्प पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने इस मौके पर सिवनी में 300 करोड़ की लागत के मेडिकल कॉलेज भवन और 72 करोड़ की लागत के अन्य विकास कार्यों का भूमि.पूजन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के साथ 750 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण भी होगा। कॉलेज से हर वर्ष 150 नये डॉक्टर प्रदेश को मिलेंगे। सिवनी कॉलेज प्रदेश का 11वाँ मेडिकल कॉलेज होगा। उन्होंने कहा कि पहले हर वर्ष 600 डॉक्टर प्रदेश को मिलते थे। अब इन कॉलेजों से हर साल 2600 डॉक्टर प्रदेश को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवनी मेडिकल कॉलेज में असाध्य रोगों के इलाज के लिये भी सभी आवश्यक सुविधाएँ जुटाई जायेंगी। चौहान ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं होने दी जायेगी। गाँवों में भी डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने संबल योजना और किसान तथा कृषि विकास के लिये क्रियान्वित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि किसान फसल के खराब होने पर बिलकुल चिंता न करें। राज्य सरकार उनकी फसल के नुकसान का मूल्यांकन कर भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में संबंधित संस्थान से चर्चा कर बीमा राशि के भुगतान में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में गेहूँ 2100 रूपयेए सोयाबीन 3400 रूपये तथा मक्का 1750 रूपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जायेगा। इसी तरह किसानों को धान का अतिरिक्त मूल्य दिया जायेगा।

इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद फगन सिंह कुलस्ते सांसद बोधसिंह भगत विधायक दिनेश राय और कमल मर्सकोल जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती आरती शुक्ला अन्य जन.प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री योजना के हितग्राही उपस्थित थे।

विद्यालयों की स्वर्ण जयंती बनाने तैयारी बैठक आयोजित

डाबुगां 6 अक्टूबर (सन्यूस) डाबुगां ब्लाक मुख्यालय स्थित उन्नीत उच्च प्राथमिक विधालय के स्थापना के एक सौ वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती मनाने गत दिवस एक तैयारी बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर विधालय संचालन कमेटी के अध्यक्ष पीतवास जानी की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में प्राधानाचार्य रणजीत घराई, सेवानिवृत्त शिक्षक अजय वल्लभ पंडा, देवराज पात्र, लक्ष्मीकांत रथ आदि उपस्थित थे। बैठक में स्वर्ण जयंती समारोह को धूमधाम से मनाने के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आगामी 7 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित कर आयोजन कमेटी गठित करने विक्रय गौड़ टी.मुरली राव, रणजीत घड़ाई एवं मोनू रेली को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस मौके पर जी.साई राजू, कैलास सिंह लाल, बाबी जेना, दीवान सिंह, रघुनाथ पात्र, ए शिव प्रसाद राव, जीतेद्र माझी,. दुल्लभ गौड़, पीतवास जानी आदि उपस्थित थे।

मानव अधिकार आयोग ने पूछा बिजली सुधारते हुए कितने लोगों की मौत हुई

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) मानव अधिकार आयोग ने बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा हैए कि चालू लाइन के दौरान अब तक कितने आउट सोर्स कर्मचारियों की मौत हुई है। जिन कर्मचारियों की मौत हुई है। उनके परिजनों को मुआवजा देने की क्या व्यवस्था कंपनी द्वारा की गई है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने एक शिकायत के आधार पर बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मौत के संबंध में जानकारी मांगी हैं। आयोग को शिकायत प्राप्त हुई हैए कि मृत्यु होने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं। आयोग ने प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग एवं पावर मैनेजमेंट कंपनी भोपाल को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।

विधानसभा के उम्मीदवारों को भी प्रस्तुत करना होगा नो ड्यूज सर्टिफिक्रेट

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) केंद्रीय चुनाव आयोग ने वर्ष 2017 से कंडक्ट आफइलेक्शन रूल 1961 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद नामांकन फार्म में उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी में अतिरिक्त जानकारी के कालम जोड़े गए हैं। आवेदन पत्र के साथ नो ड्यूज सर्टिफिक्रेट भी अनिवार्य किया गया है।

उम्मीदवार को केंद्र अथवा राज्य में किसी लाभ के पद पर तो नहीं है। किसी कोर्ट के द्वारा दिवालिया तो घोषित नहीं किया गया है। दूसरे देश के प्रति राज निष्ठा तो नहीं है। केंद्र और राज्य की सेवा में रहते हुए कभी भ्रष्टाचार के कारण हटाए तो नहीं गए हैं। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार का कोई ड्यूज तो उनके ऊपर बाकी नहीं है। इसके पहले पंचायत चुनाव में सरपंच के लिए यह नियम लागू किया जा चुका है। विधानसभा और लोकसभा में भी इसे लागू किया गया है।

एमपीएसईडीसी की संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

भोपाल 6 अक्टूबर (ए) राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन की संचालक मण्डल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम के वित्तीय वर्ष 2017.18 के वित्त एवं लेखा संबंधी विषयों का अनुमोदन किया गया। बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रमोद अग्रवाल और एमण्डी एमपीएसईडीसी श्रीमती तन्वी सुंद्रियाल उपस्थित थीं।

राजस्व मंत्री द्वारा मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड.26 के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इन विद्यार्थियों ने कक्षा.10 और 12 में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

गुप्ता ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को दबाने की बजाए उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि क्यूँ और कैसे की प्रवृत्ति के कारण ही नई.नई खोज होती हैं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सिर्फ क्लॉस.रूम में पढ़ाये जाने वाले लेसन से ही नहींए बल्कि पूरे शिक्षा परिसर में हो रही गतिविधियों से सीखता है।

उन्होंने कहा कि परिसर में ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहियेए जिससे विद्यार्थी अच्छी सीख ग्रहण कर सकें। गुप्ता ने कहा कि पढ़ाई के साथ.साथ विद्यार्थी अपने आप को स्किल्ड भी करें। इससे उन्हें रोजगार की समस्या नहीं होगी। इस दौरान स्थानीय जन.प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता भी नहीं दे पा रहे हैं अपने समर्थकों को टिकट की गारंटी

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा के टिकट प्राप्त करने की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों को बड़े.बड़े नेताओं से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अभी तक बड़े नेता के समर्थकों को आसानी से टिकट मिल जाती थी। नेताजी भी अपने समर्थकों को टिकट के प्रति आश्वस्त कर देते थे। किंतु पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के बड़े.बड़े नेता अपने समर्थकों कोए यह भरोसा नहीं दिला पा रहे हैंए कि उनकी टिकट पक्की है। वह अपने क्षेत्र पर जाकर तैयारी करें।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दोनों ही दलों ने कई सर्वे कराए हैं। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केंद्रीय इकाई स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने जो सर्वे कराए हैंए उसमें राज्य के पदाधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं दी है। दोनों ही राजनीतिक दलों में प्रमुख नेता यह कह रहे हैंए कि इस बार जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दी जाएगी। टिकट फाइनल करने में इस बार केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के द्वारा यह कहने पर उनके ही समर्थक बड़े मायूस हैंए उन्हें नहीं समझ आ रहा हैए कि वह है किस तरह अपनी टिकट प्राप्त करने के लिए कोशिश करें।

मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरए संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी टिकटों को लेकर मौन धारण किए हुए हैं। वह अपने खास समर्थकों को ही कोई भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। जिसके कारण पहली बार मंत्री और वर्तमान विधायक अनिर्णय की स्थिति से जूझ रहे हैं।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुरेश पचौरी एवं आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया और सुभाष यादव भी अपने समर्थकों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैंए कि उनकी टिकट पक्की है।

प्रदेश की मंडियो में किसान भोजन योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा

भोपाल 06 अक्टूबर (ए) प्रदेश के मंडियो में सत्ताधारी दल के संरक्षण में करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चुनाव के पहले तो इसकी रफ्तार और तेज हो गई है। अचम्भे की बात तो यह है कि मंडी में किसानों की भोजन योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कई मंडी पदाधिकारियों की जांच लोकायुक्त में चल रही है। शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बन गई है।

प्रदेश की मंडियों में मुख्यमंत्री किसान भोजन योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हो रहा है जब सरकार की शह पर किसानों के भोजन पर ही डाका डाला जा रहा है तो ऐसी सरकार से किसानों के हित में और क्या उम्मीद की जा सकती हैघ् प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 500 मंडिया हैं। यहां किसानों को नाम मात्र के शुल्क पर ठेकेदारो के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इसके लिए मंडियों द्वारा बकायदा कूपन मुद्रित करा कर किसानों को दिए जाते हैं ताकि वे अनाज बेचने में समय लगने के दौरान भर पेट भोजन कर सकें।

लेकिन इस योजना के मूल उद्देश्य को भूल कर मंडी अधिकारी और कर्मचारी एक सगंठित गिरोह बनाकर भोजन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों रूपयों का फर्जीवाडा कई वर्षों से कर रहे हैं। यदि इसकी जांच की जाए तो लगभग 1 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि यह सब मिलकर डकार गए। हर मंडी से हजारों कूपन किसानों को न देकर गायब कर दिए गए और केवल बिल के आधार पर ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया । उदाहरण के लिए राजधानी से सटी नरसिंहगढ़ मंडी के दस्तावेज आपको दिखाए जा रहे है।

मंडियों में पद का दुरूपयोग और कूट रचना करके फर्जी खानापूर्ति की जाकर जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। किसानों को फसलों का अच्छा दाम दिलाने के जिस पवित्र उद्देश्य से प्रदेश में मंडियों का गठन किया गया था शिवराज सरकार में ठीक उसके विपरीत काम हो रहा है। पूरी की पूरी सरकार बिचैलियों के साथ खड़ी है। अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत बिचैलियों के साथ है। किसानों को कोई नहीं पूछ रहा है।

इसका एक उदाहरण भोपाल से सटे नरसिंहगढ़ की मंडी का है। राजगढ़ कलेक्टर की जांच में आर्थिक अनियमितताओं के दोषीए मंडी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफ्आईआर् कराने और वसूली के आदेश जारी हुए हैं। उन्हें रिश्वतखोरी के अगले चरण के तहत 26 माह बाद भी मंडी बोर्ड भोपाल के अधिकारियों ने अभयदान दिया हुआ है। इसके सबूत भी आपको दिखाए जा रहे हैं । मजे की बात तो यह है कि मध्यप्रदेश शासन की आडिट रिपोर्ट में भी भारी भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता पद के दुरूपयोग मिथ्या साक्ष्यए कूट रचनाए रिकार्ड में हेराफेरी फर्जी लिखावट फर्जी हस्ताक्षर का स्पष्ट खुलासा है।

आडिट दल ने मंडियों में कई लोगों को अनियमितता का दोषी पाया है। इसके प्रमाण भी आपको दिखाए जा रहे हैं।

डीन की अनुमति लेकर ही 2 बजे के बाद निजी अस्पतालों में इलाज कर सकेंगे सरकारी डॉक्टर

भोपाल 06अक्टूबर (ए) मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर सख्ती करना शुरू की है। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि कॉलेज में आए हुए मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही करना होगा। यदि सरकार को यह शिकायत मिली की ओपीडी और आईपीडी में भर्ती मरीजों का इलाज अथवा ऑपरेशन किसी निजी चिकित्सालय में हुआ है। ऐसी स्थिति पर दोषी डॉक्टर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया ने नई व्यवस्था में यह भी कहा है। मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को डीन से 2 बजे के बाद से निजी अस्पतालों में इलाज करने की अनुमति मिलेगी। बिना अनुमति के यदि कोई डॉक्टर निजी अस्पतालों में इलाज करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है नियमों के अनुसार डॉक्टर प्रतिमाह दो शिकायत मिली की ओपीडी और आईपीडी में भर्ती मरीजों का इलाज अथवा ऑपरेशन किसी निजी चिकित्सालय में हुआ है। ऐसी स्थिति पर दोषी डॉक्टर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओपीडी और आईपीडी में अपने निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं रहते थे। इसकी शिकायतें लगातार सरकार को प्राप्त हो रहे थे। इसके बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।